राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. (UHIN/2009/34814) (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार , 17 दिसंबर 2025

वर्ष 16, अंक 67, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला द्वारा भूमि पर अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त ..03

दबंगई के आगे विभाग भी नतमस्तक..04

COVID में 1596 डॉक्टरों ने गंवाई जान, मुआवजा सिर्फ 475 को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या हैं मायने

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोविड-19 महामारी, भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपदाओं में से एक रही है. ये वही समय था जब देश के हर शख्स की नजरें स्वास्थ्य सेवाओं पर टिक गई थीं. अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन संकट और संक्रमित मरीजों की बाढ़ के बीच सबसे आगे जो लोग खड़े थे, वे थे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्यकर्मी. इस लड़ाई में हजारों स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाली और कई ने अपनी जान तक गंवा दी. लेकिन महामारी के बीत जाने के बाद एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आया, क्या जिन डॉक्टरों ने अपनी जान दी, उनके परिवारों को वास्तव में वह सम्मान और सुरक्षा मिली, जिसका वादा किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले सभी डॉक्टरों के परिवार को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 50 लाख रुपये का बीमा देना होगा. पीठ ने कहा कि महामारी के समय डॉक्टरों की सेवाएं शासन की ओर से औपचारिक रूप से मांगी गई थीं, इसलिए इस अहम मुद्दे पर सरकारी और निजी डॉक्टरों में फर्क नहीं समझा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और बीमा योजना की घोषणा

मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य स्पष्ट था, जो डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 के इलाज के दौरान संक्रमण का शिकार होकर जान गंवाते हैं, उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दी जाए. यह योजना केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें समुदाय स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी और निजी क्षेत्र के हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी शामिल किए जाने की बात कही गई थी. उस समय सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया कि चाहे डॉक्टर सरकारी हों या निजी, अगर वे महामारी के दौरान सेवा में हैं, तो देश उनके साथ खड़ा है.

प्राइवेट डॉक्टरों को लेकर भ्रम और प्रशासनिक अड़चनें

योजना की घोषणा के बाद भी जमीनी स्तर पर कई तरह की अस्पष्टताएं सामने आईं. सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या निजी अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में काम करने वाले डॉक्टर इस बीमा के दायरे में आएंगे या नहीं. कई मामलों में बीमा कंपनियों और प्रशासन ने यह तर्क दिया कि यदि डॉक्टर किसी सरकारी आदेश के तहत या किसी अधिसूचित कोविड अस्पताल में ड्यूटी पर नहीं थे, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसी भ्रम के चलते सैकड़ों परिवार वर्षों तक मुआवजे के लिए भटकते रहे।

बॉम्बे हाईकोर्ट का 2021 का फैसला

मार्च 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसने इस भ्रम को और गहरा कर दिया. अदालत ने कहा कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर तब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीमा के हकदार नहीं हैं, जब तक उनकी सेवाएं राज्य या केंद्र सरकार द्वारा औपचारिक रूप से नहीं ली गई हों. यह फैसला किरण भास्कर सुरगड़े नामक महिला की याचिका पर आया था. उनके पति ठाणे में निजी क्लिनिक चलाते थे और कोविड-19 से संक्रमित होकर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी. जब परिवार ने बीमा का दावा किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि वह क्लिनिक कोविड अस्पताल के रूप में अधिसूचित नहीं था. बॉम्बे हाईकोर्ट के इस निर्णय ने हजारों निजी डॉक्टरों के परिवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का 11 दिसंबर का ऐतिहासिक फैसला

11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया. न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने साफ कहा कि कोविड-19 के दौरान ड्यूटी पर मौजूद जिन निजी डॉक्टरों की मौत हुई, उनके परिवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपये के बीमा के हकदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महामारी के दौरान लागू किए गए कानून और नियम इसलिए थे ताकि डॉक्टरों की सेवाएं बिना किसी बाधा के ली जा सकें. बीमा योजना का उद्देश्य भी यही था कि फ्रंटलाइन पर काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को यह भरोसा दिया जाए कि देश उनके साथ खड़ा है।

बीमा दावों पर साक्ष्य आधारित निर्णय की बात

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक बीमा दावा कानून और साक्ष्यों के आधार पर तय किया जाएगा. दावेदार को यह साबित करना होगा कि डॉक्टर की मृत्यु कोविड-19 ड्यूटी के दौरान हुई थी. इसका उद्देश्य फर्जी दावों को रोकना है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि वास्तविक हकदारों को न्याय मिले.

RTI से सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

इस पूरे मुद्दे के बीच सूचना के अधिकार (RTI) के जरिए सामने आए आंकड़े और भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं. कन्नूर के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. के वी बाबू द्वारा दायर एक आरटीआई के अनुसार, अक्टूबर 2023 तक केवल 475 डॉक्टरों के परिवारों को ही मुआवजा दिया गया था. जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अनुसार, पहली और दूसरी लहर में कुल 1,596 डॉक्टरों की मौत हुई. इस हिसाब से देखा जाए तो केवल 21 प्रतिशत डॉक्टरों के परिवारों को ही बीमा राशि मिल पाई।

कुल मुआवजे में डॉक्टरों का कितना हिस्सा

आरटीआई के जवाब के अनुसार, अब तक 2,244 स्वास्थ्यकर्मियों के परिवारों को कुल 1,122 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है. इसमें से 237.5 करोड़ रुपये 475 डॉक्टरों के परिवारों को मिले, जबकि 1,769 अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के परिवारों को 884.5 करोड़ रुपये दिए गए. इसका अर्थ यह है कि कुल मुआवजे में डॉक्टरों का हिस्सा मात्र 21 प्रतिशत के आसपास है, जबकि महामारी के दौरान डॉक्टर सबसे अधिक जोखिम में थे।

पहली और दूसरी लहर का असर हर राज्य पर

सरकार ने संसद में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कोविड-19 से मौतों का पेशेवार आंकड़ा केंद्र स्तर पर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वयं राज्यवार आंकड़े जुटाए. पहली लहर में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में डॉक्टरों की बड़ी संख्या में मौतें हुई जबकि दूसरी लहर में दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि डॉक्टरों की मौत किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में फैली हुई थी।

कोविड में मजबूरी में खोलने पड़े क्लीनिक

डॉ. बाबू का कहना है कि कई डॉक्टर ऐसे थे, जिन्हें मजबूरी में अपने क्लीनिक खोलने पड़े. कई राज्यों में एपिडेमिक एक्ट के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया था कि मेडिकल प्रतिष्ठान बंद नहीं होंगे. ऐसे में यह कहना कि निजी डॉक्टर 'सरकारी ड्यूटी' पर नहीं थे, न केवल तकनीकी बहाना है बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है।

5th जेन फाइटर जेटः भारत की बड़ी छलांग, DRDO ने तोड़ दिया अमेरिका का गुरूर, चीन-रूस भी हैरान!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

यह बात सभी को पता है कि भारत लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहा है. उसके पास मौजूदा समय में स्क्वाड्रन की संख्या 42 से घटकर 30 पर आ गई है. लेकिन, सबसे बड़ी चुनौती नए फाइटर जेट्स हासिल करने की है. दरअसल, फाइटर जेट्स कोई वाशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर नहीं होते हैं कि कोई व्यक्ति मार्केट गया और उसे खरीदकर लेते आया. बल्कि, ये बेहद जटिल तकनीक वाले विमान हैं और भारत की कोशिश है कि वह अब भविष्य में स्वदेशी फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करे. इस दिशा में भारत अपने तेजस प्रोग्राम के साथ पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA यानी एम्का प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।

अब इस एम्का प्रोजेक्ट में देसी वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है. दरअसल, डीआरडीओ ने मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है. यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा कंपनियों जैसे एयरबस और नासा के पास है. एक तरह से इस तकनीक पर अमेरिका और यूरोप का कब्जा है. चीन और रूस जैसे देश भी पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बना चुके हैं लेकिन, उनके पास भी ऐसी सटीक तकनीक होने को लेकर सवाल किए जाते हैं।

पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए क्यों जरूरी है ये तकनीक?

फिफ्थ जेन फाइटर जेट के लिए यह एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है. इस टेक्नोलॉजी में फाइटर जेट अपने फंख पक्षियों की तरह समेट सकते है. उसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर उसे छिपा सकते हैं. वह आसमान में संतुलित स्थित पाने लेने के बाद अपने फंख को पूरी तरह छिपा सकते हैं. यह सब कुछ सेकेंडों के भीतर होता है. ऐसे में ये विमान आसानी से दुश्मन के राडार से बच जाएंगे. पंख समेटने के कारण उनका आकार भी काफी सिमट जाएगा. पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए यह एक बहुत बड़ी तकनीकी जरूरत है. दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की चुनिंदा कंपनियों के पास ही यह तकनीक उपलब्ध है।

डीआरडी ने बनाया अपना तकनीक

इस तकनीक को डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है. इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है. आने वाले वक्त में इसे फाइटर जेट्स के साथ जोड़ा जाएगा. जानकारों का कहना है कि इस तकनीक का सीधा फायदा एम्का प्रोजेक्ट के साथ-साथ मानव रहित विमानों के विकास में मिलेगा।

क्या है यह तकनीक

दरअसल, यह एक बेहद खास तकनीक है. इसमें फंख एक खास धातु से बने होते है. जो एक विशेष तापमान पर गर्म होने के बाद फैल जाते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं. लेकिन, गर्म या ठंडा होने की यह पूरी प्रक्रिया सेकेंडों में पूरी होती है. यानी ये फंस फैलने के कुछ ही सेकेंड के भी अपने मूल आकार में आ जाते हैं. फाइटर जेट को जब उड़ान भरना होते हैं या उसको हवा के दबाव को मैनेज करना होता है तो वह हीट बढ़ाकर इन फंखों की साइज बढ़ा देते हैं. इस तकनीक को शेप मेमोरी अलॉय कहा जाता है.

इस तकनीक की एक और बड़ी खासियत है कि इसमें पारंपरिक पंखों की तहत कोई कट या जोड़ नहीं होते. इस कारण इनके राडार की नजर में आना और मुश्किल हो जाता है. इस तकनीक में फंखे प्रति सेकेंड 35 डिग्री की रफ्तार से अपना आकार बदलते हैं. ये मात्र 0.17 सेकेंड में पूरे शेप चेंज कर लेते है. इसका मतलब यह है कि एक ही मिशन में विमान टेकऑफ पर ज्यादा वजन लिफ्ट करने के लिए कैंबर बढ़ा सकेगा. क्रूज में ड्रैग कम करने लिए रेंज बढ़ा सकेगा. डॉगफाइट यानी फाइटर जेट्स के बीच सीधी भिड़ंत के वक्त तेजी से अपना आकार बदलकर दुश्मन को चमका दे सकेगा।

क्या थी सबसे बड़ी चिंता?

इस तकनीक को लेकर सबसे बड़ी बात यह कही जाती है कि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है. ये ऊर्जा पंखों को गर्म या ठंडा करने में इस्तेमाल होती है. ऐसे में विमान पर बोझ बढ़ जाता था. इस समस्या के समाधान के लिए एक एडाप्टिव पावर अलोकेशन एल्गोरिदम तैयार किया गया है जो जरूरत के हिसाब से बिजली को इंटेलिजेंटली बांटता है. इसका नतीजा यह हुआ कि विमान के एक्टिव सेगमेंट को ही पावर मिलती है. बाकी सेगमेंट्स पर भार नहीं पड़ता है. इस तरह इस पूरे टेस्ट में महज 5.6 फीसदी अतिरिक्त ऊर्जा की खपत हुई।

संक्षिप्त ख़बरें

हरियाणा में मनरेगा की बदहालीः 8 लाख मज़दूर, लेकिन सिर्फ 2,000 परिवारों को ही मिला 100 दिन का काम

नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि पिछले दो वर्षों में हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पंजीकृत 8 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से केवल कुछ हजार परिवारों को ही 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार मिल पाया. अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में हरियाणा में किसी भी बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने संसद को बताया कि 2022-23 और 2023-24 में हरियाणा में 8,06,439 सक्रिय श्रमिक मनरेगा के तहत पंजीकृत थे, लेकिन इन वर्षों में क्रमशः केवल 3,447 और 2,555 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिल सके. वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा में 8,06,422 सक्रिय श्रमिक हैं, लेकिन अब तक केवल 2,191 परिवारों को ही पूरे 100 दिन का काम मिल सका है. पासवान ने कहा, 'मनरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, हर पात्र ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार पाने का अधिकार है, यदि वह अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है. जिन मामलों में राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहती है, वहां अधिनियम की धारा 7 के तहत बेरोज़गारी भत्ता देय हो जाता है.' पासवान ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा के लिए मनरेगा के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए धन में कमी आई है. जहां 2020-21 में केंद्र ने 764.55 करोड़ रुपये जारी किए थे, वहीं 2024-25 में यह आवंटन घटकर 590.19 करोड़ रुपये रह गया है।

जिला सैनिक बन्धु बैठक 16 दिसम्बर को

देवरिया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल डॉ. सुधाकर त्यागी ने बताया है कि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु जिला सैनिक बन्धु की बैठक आयोजित की गयी है। यह बैठक अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 16 दिसम्बर को 2 बजे, नवीन सभागार, कलेक्ट्रेट में सम्पन्न होगी। उन्होंने बताया कि वे अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निर्धारित तिथि को बैठक में उपस्थित हों तथा अपनी समस्या से संबंधित लिखित प्रार्थना पत्र की तीन प्रतियाँ साथ लेकर अवश्य आएँ, ताकि उनकी समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सके।

यूनुस पर चौतरफा संकट, देश में बवाल, सूडान में छह बांग्लादेशी सैनिकों की मौत, दक्षिण अफ्रीका से भी आई बुरी खबर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ढाका- बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चौतरफा संकट में घिरे हैं. बांग्लादेश में चुनाव आयोग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया. वहीं अब अफ्रीका से दो बेहद चिंताजनक खबरें सामने आई हैं. एक तरफ सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर आतंकी हमले में बांग्लादेशी सैनिकों की जान गई है, तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में अवैध तरीके से पहुंचे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर देश से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है. इन दोनों घटनाओं ने एक साथ बांग्लादेश की सरकार और सुरक्षा तंत्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सूडान के अशांत अबेई (Abyei) इलाके में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन NISFA पर हुए आतंकी हमले में बांग्लादेश के छह सैनिकों की मौत हो गई, बल्कि छह घायल हो गए।

हमले के बाद अब कैसे हैं हालात?

संयुक्त राष्ट्र के कैंप पर यह हमला एक ड्रोन के जरिए किया गया था. बांग्लादेश सेना के मुताबिक यह हमला इतना भीषण था कि इलाके में अब भी हालात पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं और आतंकियों के साथ झड़प जारी है. सेना ने बताया कि घायल जवानों को निकालने और इलाज के लिए हरसंभव कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्षेत्र में न तो मजबूत प्रशासन है, न पुलिस व्यवस्था और न ही कोई प्रभावी न्यायिक ढांचा. संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, यह हमला पिछले तीन सालों में अबेई क्षेत्र में हुआ सबसे घातक हमला है, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

बांग्लादेश के कितने सैनिक ह में शामिल?

स्थानीय प्रशासन का आरोप है कि विद्रोही गुटों ने हथियारबंद युवाओं के साथ मिलकर सुनियोजित और बर्बर हमले किए. बांग्लादेश लंबे समय से यूएन पीसकीपिंग मिशनों में बड़ा योगदान देने वाला देश रहा है और इस वक्त भी अफ्रीका के कई संघर्षग्रस्त इलाकों में उसके 6,000 से ज्यादा सैनिक और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. ऐसे में सैनिकों की मौत ने सरकार के सामने सुरक्षा, विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मोहम्मद यूनुस ने भी इस हमले पर अफसोस जताया है।

बांग्लादेश के लिए दूसरी बुरी खबर क्या है?

इसी बीच साउथ अफ्रीका से आई दूसरी खबर ने बांग्लादेश की चिंता और बढ़ा दी है. जोहान्सबर्ग के ओआर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी वीजा के साथ पकड़ गया है. ये सभी इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट से पहुंचे थे और जांच में सामने आया कि वे मानव तस्करी से जुड़ेएक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं साउथ अफ्रीका की बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि ये लोग संदिग्ध तरीके से स्थानीय यात्रियों के बीच घुलने-मिलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें अलग कर जांच की गई।

16 बांग्लादेशियों को किया जाएगा डिपोर्ट

अधिकारियों के अनुसार, इनके पास मौजूद दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे और यात्रा का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं था. अब सभी 16 बांग्लादेशी नागरिकों को देश से डिपोर्ट किया जाएगा. इसके साथ ही जिस एयरलाइन ने इन्हें यात्रा की अनुमति दी, उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और डिपोर्टेशन का खर्च भी उसी से वसूला जाएगा. साउथ अफ्रीका लंबे समय से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के नागरिकों की अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रवेश को लेकर चिंता जताता रहा है।

दिल्ली दंगा साज़िश मामले के आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे 'बड़ी साज़िश' रचने के आरोपी लोगों की रिहाई के खिलाफ अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 दिसंबर) को उनकी ज़मानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह 19 दिसंबर को शीतकालीन अवकाश पर जाने से पहले इस मामले में निर्णय सुनाना चाहती है. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि आरोपियों द्वारा किए गए चक्काजाम या सड़क ब्लॉक करने का आह्वान आम राजनीतिक नारेबाज़ी नहीं थी, बल्कि उनका मकसद जरूरी सेवाओं को रोकना था. उन्होंने तर्क दिया कि इन आह्वानों से देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा था और यह यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधि थी. जब जस्टिस कुमार ने पूछा कि ये आह्वान दंगों से कैसे जुड़े थे - और इस तरह यूएपीए की 'आतंकवादी गतिविधि' की धारा कैसे लागू होती है - तो राजू ने आरोप लगाया कि आरोपियों के उकसावे के बाद 'ऐसी कार्रवाई हुई', जिसके परिणामस्वरूप हिंसा भड़की।

राजू ने यह भी कहा कि आरोपी उमर ख़ालिद ने जानबूझकर दंगे शुरू होने से पहले दिल्ली छोड़ दी ताकि उनके ऊपर से शक हटाया जा सके, जबकि हिंसा में 50 से अधिक लोग मारे गए थे. दिल्ली पुलिस का आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी - जो इस मामले में पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं - ने फरवरी 2020 में राजधानी में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साज़िश रची. पुलिस का यह भी दावा है कि वे लोगों को इतना भड़काना चाहते थे कि 'सत्ता परिवर्तन' के लिए 'हथियारबंद विद्रोह' जैसी स्थिति पैदा हो जाए. पुलिस का आरोप है कि उन्होंने 2019 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को चुना, जिसका उन्होंने उस समय विरोध किया था, ताकि 'शांतिपूर्ण विरोध' के नाम पर अपने इरादों को 'छिपाया' जा सके. दिल्ली पुलिस की जांच की पक्षपातपूर्ण भूमिका पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, वहीं आरोपियों की लंबी कैद को लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इसे न्याय का उपहास बताया है. इससे पहले इस महीने आरोपियों ने अदालत के सामने अपनी जवाबी दलीलें पेश की थीं. उन्होंने अक्टूबर में विस्तृत ज़मानत तर्क दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अपने जवाब दाख़िल किए. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिकाएं 2 सितंबर को खारिज कर दी थीं।

एक साल में 6-6 इन्क्रीमेंट दुलारे कर्मचारियों पर खूब मेहरबान थे CJI, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हर नौकरीपेशा इंसान को हर साल अपनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद जरूर रहती है. प्राइवेट से लेकर सरकारी तक सभी दफ्तरों में सालाना वेतनवृद्धि एक सामान्य प्रक्रिया होती है. लेकिन क्या हो अगर किसी कर्मचारी की सालभर के अंदर छह-छह बार सैलरी बढ़ जाए. यह सुनकर आप हैरान हुए न... लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीते कुछ वर्षों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली. यहां कई मुख्य न्यायाधीशों (CJI) ने रिटायरमेंट से ठीक पहले अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को एक नहीं, बल्कि दो से तीन और कुछ मामलों में छह तक अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर कर दी. जिन न्यायाधीशों का कार्यकाल छोटा रहा, उन्होंने भी सालाना इन्क्रीमेंट के अलावा अपने निजी स्टाफ या 'असाधारण कार्य' करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त इन्क्रीमेंट दिए. बीते चार वर्षों में ही सुप्रीम कोर्ट के करीब 2,000 कर्मचारियों को कम से कम दो से तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि मिली, जबकि कुछ 'खास' कर्मचारियों को छह अतिरिक्त इन्क्रीमेंट तक मिले. इसके चलते कुछ कर्मचारियों का वेतन सामान्य वेतन से करीब 150 प्रतिशत तक पहुंच गया।

बढ़ी हुई सैलरी पर क्या हुआ फैसला?

इस असमानता और विसंगति को दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सभी जजों की फुल कोर्ट बैठक बुलाई थी. इस बैठक में अधिकांश न्यायाधीशों की राय थी कि न तो सुप्रीम कोर्ट कोई 'साम्राज्य' है और न चीफ जस्टिस कोई 'राजा'... जो अपने विवेक से चुनिंदा लोगों को वेतन लाभ बांटें. लंबी चर्चा के बाद फुल कोर्ट ने फैसला किया कि इस तरह की विवेकाधीन वेतनवृद्धि की प्रथा को तत्काल समाप्त किया जाए. फुल कोर्ट ने यह भी तय किया कि बीते वर्षों में दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि को वापस लिया जाएगा और भविष्य में अगर किसी विशेष इन्क्रीमेंट पर विचार होगा तो वह केवल फुल कोर्ट की मंजूरी से ही संभव होगा.

सैलरी कटने पर अब क्या कह रहे कर्मचारी?

कई कर्मचारियों पर अचानक से इस फैसले का असर पड़ा. जिन कर्मचारियों को अतिरिक्त इन्क्रीमेंट मिले थे, उनकी सैलरी में एक झटके में भारी कटौती हो गई. कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने बढ़ी हुई सैलरी को आधार बनाकर घर या कार लोन ले लिया था, ऐसे में अचानक वेतन घटने से उनका बजट बिगड़ गया. कुछ मामलों में कर्मचारियों की मासिक सैलरी 30 से 40 हजार रुपये तक कम हो गई।

कुछ कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि एक-दो रजिस्ट्रारों ने तत्कालीन सीजेआई को गलत जानकारी दी, जिसके आधार पर इन्क्रीमेंट दिए गए. वहीं, कई कर्मचारियों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना ही था, तो अतिरिक्त वेतनवृद्धि को भविष्य के सालाना इन्क्रीमेंट में समायोजित किया जा सकता था, ताकि अचानक वेतन कटौती का झटका न लगे।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता और समानता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, हालांकि इससे जुड़े मानवीय और आर्थिक पहलुओं पर कर्मचारियों के बीच असंतोष भी साफ नजर आ रहा है।

मोदी मॉडल का नया अध्याय: संकट में अवसर, पान मसाले से सुरक्षा

[पान मसाला सेस से बनेगा भारत का महामारी-विरोधी कवच]

[डिमेरिट गुड्स से पुण्य का धन: स्वास्थ्य से राष्ट्रीय सुरक्षा तक]

कोविड-19 के गहरे ज़ख्मों से दुनिया अभी भी पूरी तरह नहीं उबर पाई है, लेकिन इसी दौर में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ परिस्थितियों का जवाब नहीं देता–बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025' इसी दूरदर्शी सोच का सशक्त उदाहरण है। यह विधेयक किसी सामान्य कर सुधार से कहीं अधिक है; यह एक रणनीतिक बदलाव है, जो स्वास्थ्य को राष्ट्रीय सुरक्षा का चौथा स्तंभ घोषित करता है।

पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40 प्रतिशत क्षमता-आधारित सेस लागू करके सरकार हर वर्ष करीब छह हजार करोड़ रुपये का एक विशेष कोष तैयार करेगी–एक ऐसा कोष, जो प्रत्यक्ष रूप से महामारी-नियंत्रण, 'वन हेल्थ' मिशन, वैक्सीन उत्पादन और रक्षा-आधुनिकीकरण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सशक्त बनाने में खर्च होगा। यही है मोदी सरकार की नीतिगत सोच का असली दर्शन–'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की जीवंत अभिव्यक्ति–जहाँ समाज को हानि पहुँचाने वाले उत्पादों से प्राप्त कर का उपयोग उन क्षेत्रों को मजबूत करने में किया जाता है, जो राष्ट्र को दीर्घकाल में अधिक सुरक्षित, समर्थ और आत्मनिर्भर बनाते हैं।

मोदी सरकार की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह हर छोटे-बड़े संकट को भी एक व्यापक राष्ट्रीय अवसर में बदल देने की अद्भुत क्षमता रखती है। कोविड की भयावहता और वैश्विक अराजकता के बीच जब पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए बेचैन और असहाय खड़ी थी, तब भारत ने न केवल स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि 200 से अधिक देशों तक जीवनरक्षक टीके पहुँचाकर अपनी मानवीय नेतृत्व-भूमिका को सिद्ध किया। आज वही सरकार उस अमूल्य ऐतिहासिक अनुभव को एक स्थायी, संस्थागत और भविष्य-निर्माण करने वाली संरचना में परिवर्तित कर रही है। यह नया फंड भारत को 'फ्यूचर-रेडी' बनाने की दिशा में उठाया गया सबसे निर्णायक और दूरदर्शी कदम है।

जूनोटिक रोगों की सतत निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, बायोसेफ्टी लेवल-3 लैब्स का नेटवर्क, और वन हेल्थ मिशन के तहत पशु-मानव-पर्यावरण का समन्वित ढांचा–इन सभी रणनीतिक क्षमताओं को अब स्थायी वित्तीय समर्थन मिलेगा, जिससे इनकी गति कई गुना बढ़ेगी। भारत अब इतनी मजबूत तैयारी कर रहा है कि कोई भी आने वाली महामारी हमें पहले जैसा नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। यह वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का स्वास्थ्य संस्करण है–जहाँ हम केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक दक्षिण के लिए एक मार्गदर्शक मॉडल के रूप में उभर रहे हैं।

सबसे प्रशंसनीय है सरकार का यह नैतिक साहस। पान मसाला और गुटखा जैसे हानिकारक उत्पादों को 'डिमेरिट गुड्स' मानकर उनसे ही स्वास्थ्य फंड जुटाने का निर्णय सचमुच एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। यही वही नीति-दृष्टि है जिसने स्वच्छ भारत में प्लास्टिक सेस से स्वच्छता कोष बनाया और पेट्रोल-डीजल पर सेस से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। आम आदमी पर एक पैसा अतिरिक्त बोझ नहीं, फिर भी हर साल अरबों रुपये का स्थायी फंड–यही है मोदी सरकार की 'लक्ष्मी मॉडल' अर्थव्यवस्था, जहाँ पाप से पुण्य का धन निकाला जाता है। विपक्ष जितना भी शोर करे, तथ्य स्पष्ट हैं–यूपीए के समय सेस जीडीपी का 7% था, आज 6.1% है; अर्थात कम सेस में अधिक काम, यही सरकार की असली दक्षता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर यह विधेयक भी एक वास्तविक गेम-चेंजर है। निर्मला सीतारमण ने कारगिल की याद दिलाते हुए सही कहा कि बजट की कमी ने कभी सेना को कमजोर नहीं किया। आज जब युद्ध साइबर, अंतरिक्ष और बायोलॉजिकल हो चुके हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा ही रक्षा की पहली और निर्णायक पंक्ति बन चुकी है। इस फंड से ड्रोन-आधारित महामारी निगरानी, सीमा क्षेत्रों में अत्याधुनिक बायोसेफ्टी यूनिट्स और जैव-हथियारों से सुरक्षा की नई तकनीकें विकसित होंगी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों ने स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य और रक्षा अब अलग नहीं रह सकते। मोदी सरकार ने इसे समझते हुए दुनिया के सामने नया सिद्धांत पेश किया है–'हेल्थ इज द न्यू डिफेंस'।

राज्यों के साथ सहकारी संघवाद भी पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा है। सेस का 41 प्रतिशत हिस्सा सीधे राज्यों को जाएगा, जिससे केरल हो या उत्तर प्रदेश, हर राज्य अपनी स्थानीय महामारी तैयारी और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूती से सुदृढ़ कर सकेगा। यह वही मोदी मॉडल है जिसने जीएसटी में राज्यों को रिकॉर्ड स्तर का मुआवजा देकर उनका विश्वास जीता था। आज, जब जीएसटी मुआवजा धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, तब सरकार ने बिना किसी राज्य को नुकसान पहुँचाए एक नया, स्थायी और भरोसेमंद संसाधन तैयार कर दिया है। यह वास्तव में दूरदर्शी और रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन का सर्वोत्तम उदाहरण है।

सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य यह है कि 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025' मोदी सरकार का एक और प्रेरक मास्टरस्ट्रोक है। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि 2047 के विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है–जहाँ कोई वायरस अर्थव्यवस्था को डगमगा नहीं सकेगा, और कोई जैव-हमला देश को कमजोर नहीं कर पाएगा। यह वही भारत है जो न केवल अपनी सुरक्षा करता है, बल्कि वैश्विक मानवता की रक्षा करने की क्षमता भी रखता है। नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण को नमन, जिन्होंने पान मसाले की छोटी पुड़िया से भी महामारी सुरक्षा का कवच तैयार कर दिखाया। यही असली 'नए भारत' की ताकत है–संकट में समाधान, आलोचना में आगे बढ़ना, और हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखना।

प्रो. आरके जैन

संपादकीय

वंदे मातरम् पर विवाद देश की मूल भावना से खिलवाड़

इस से ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि आज लोकतंत्र के पावन मंदिर में राष्ट्रगीत को लेकर खेमेबाजी हो रही है जबकि इस पर समूचे राष्ट्र को एकमत होना चाहिए था। वंदेमातरम् गीत के 150 वर्ष पर चर्चा होने के अवसर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'वंदे मातरम्' गीत की गूंज ने न सिर्फ अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी बल्कि पूरे भारत में उत्साह का ऐसा माहौल तैयार किया था जो न सिर्फ स्वतंत्रता का मंत्र बना बल्कि आजाद भारत के लिए भी विजन बनकर सामने आया। यह गीत आजादी का उद्?गार बन गया था और हर देशवासी इस गीत से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इस गीत से देश में बने नये माहौल को देखकर अंग्रेज बौखला गये थे इसलिए उन्होंने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे गाने को अपराध मानकर लोगों पर जुल्म ढहाने शुरू कर दिए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'वंदे मातरम्' पर चर्चा में कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है क्योंकि इसी गीत से मिली प्रेरणा के कारण हम सब यहां बैठे हैं और यह हम सबके लिए पावन पर्व है।

आपको पता रहे वंदे मातरम को 1950 में भारत के संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम की की रचना शुरू में स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया। इसे पहली बार रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। एक राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का पहली बार प्रयोग 7 अगस्त 1905 को हुआ था। इस वर्ष, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ थी, जिसका अनुवाद मां, मैं आपको नमन करता हूं, है। आज 8 दिसंबर को सदन में इस पर चर्चा हुई। जिस पर सरकार एवं विपक्षियों ने अपनी अपनी राय रखी। यह रचना, एक चिरस्थायी गान ने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है, जो भारत की राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना के स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। बाद में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने अमर उपन्यास आनंदमठ में भजन को शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध किया था। यह राष्ट्र की सभ्यता, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न अंग बन गया है। इस मील के पत्थर को मनाने का अवसर एकता, बलिदान और भक्ति के कालातीत संदेश की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। बंदे मातरम पर संसद में आज 8 दिसंबर सोमवार को विशेष चर्चा हुई और, ये ऐसे दौर में हो रहा है जब विपक्ष एसआईआर पर चर्चा चाहता है। राज्यसभा बुलेटिन में वंदे मातरम को भी जय हिंद और दूसरे शब्दों के साथ शामिल किया गया है। ममता बनर्जी का भी इस मुद्दे पर मुखर हो जाना, वंदे मातरम के बंगाल कनेक्शन की तरफ खास इशारे कर रहा है। संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस विषय पर अपनी राय रखी। वंदे मातरम् पर यह बहस केवल एक रस्म नहीं है बल्कि यह ऐसे समय पर हो रही है जब इस गीत को लेकर राजनीति गरम है। नवंबर महीने में इस गीत के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने 1937 के अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के कुछ जरूरी हिस्से हटा दिए। कांग्रेस का यह कदम विभाजन के बीज बोने जैसा था। पीएम मोदी का आरोप था कि राष्ट्रगीत को टुकड़ों में बांटकर इसकी मूल भावना कमजोर कर दी गई है। सबसे पहले वंदे मातरम् की रचना की बात करें तो बॉकम चंद्र चटर्जी ने इस राष्ट्रगीत की रचना की थी। इसे पहली बार सात नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित किया गया था। उस दिन से लेकर आजतक यह गीत करोड़ों देशवासियों के हृदय में देशभक्ति को अलख जगा रहा है। मातृभूमि की आराधना के प्रतीक इस गीत को सुनते ही ब्रिटिश अफसरों के कान खड़े हो जाते। अंग्रेजों द्वारा वंदे मातरम् गीत को गाने या छापने पर भी बैन लगा दिया गया था। आगे चलकर यह छह छंदों वाला गीत मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ का हिस्सा बना जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह की कहानी के माध्यम से बंकिम ने ने भारत को मां दुर्गा के रूप में चित्रित किया इसमें सुफला, सुफला, मलयजशीतलाम...। यह गीत गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को समृद्धि और शक्ति का सपना दिखाता था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को एक नई पहचान मिली। रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतमय रूप दिया और इसे कलकत्ता के अधिवेशन में गाया। संगीतमय प्रस्तुति ने इस गीत को अमर कर दिया। यह गीत जनमानस में तेजी से लोकप्रिय होने लगा। हर तरफ वंदे मातरम् की गूंज सुनाई देने लगी। तब ब्रिटिश राज ने इसे अपनी सरकार के खिलाफ खतरनाक मान लिया। उसके बाद 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में यह नारा बन गया। कालांतर में इस गीत को लेकर मुसलमानों की तरफ से आपत्ति जताई जाने लगी। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम् गायन के समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर मंच से उठकर चले गए थे। इस गीत को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है कि वंदे मातरम् के जरिए उन पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा का दवाव डाला जा रहा है। वंदे मातरम् में मंदिर और दुर्गा शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 में तय किया कि राष्ट्रीय आयोजनों में इस गीत के केवल पहले दो पद ही गाए जाएंगे। यही कारण रहा कि 1937 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम् के केवल दो छंद ही गाए गए। उस समय से इसी नियम का पालन किया जाने लगा। आजादी के बाद इसे नियम बनाते हुए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत घोषित कर दिया। वंदे मातरम् को आज भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन सरकारी समारोहों में इसके पहले के दो छंदों का ही गायन होता है। हालांकि बाल कया था। गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय प्रार्थना और अरविंदो घोष घोष ने मंत्र कहते हुए इसे राष्ट्रगान का दर्जा देने की की मांग की थी। यह गीत राष्ट्र गान की जगह तो नहीं ले सका लेकिन राष्ट्रगीत के तौर पर आज भी करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है। अब इसके 150 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा कराई गई। बंदे मातरम आनंद मठ के संतानों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यह देशभक्ति के धर्म के प्रतीक के रूप में खड़ा था, जो आनंद मठ का केंद्रीय विषय था। अपने मंदिर में, उन्होंने मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली मां की तीन मूर्तियां स्थापित कीं। बंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी (1838-1894) 19वीं सदी के के बंगाल के के सब सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उन्नीसवीं सदी के दौरान बंगाल के बौद्धिक और साहित्यिक इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवि और निबंधकार के रूप में, उनके योगदान ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास और उभरते भारतीय रष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। आनंदमठ (1882), दुर्गेशनंदिनी (1865), कपालकुंडला (1866) और देवी चौधरानी (1884) सहित उनकी उल्लेखनीय रचनाएं, आत्म-पहचान के लिए प्रयासरत एक उपनिवेशित समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चिंताओं को दर्शाती हैं। वंदे मातरम की रचना को राष्ट्रवादी चिंतन में एक मील का पत्थर माना जाता है, जो मातृभूमि के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक आदर्शवाद के संश्लेषण का प्रतीक है। वंदे मातरम में उन्होंने देश को मातृभूमि का दर्शन कराया, जिसे माता का रूप दिया गया। अक्टूबर 1905 में, मातृभूमि को एक मिशन और धार्मिक जुनून के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्तरी कोलकाता में एक बंदे मातरम् संप्रदाय की स्थापना की गई थी। हर रविवार को, समाज के सदस्य प्रभात फेरी में निकलते थे, वंदे मातरम् गाते थे और मातृभूमि के समर्थन में लोगों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करते थे। रवींद्रनाथ टैगोर भी कभी-कभी कभी संप्रदाय की प्रभात फेरी में शामिल होते थे। 20 मई 1906 को, बारीसाल (अब बांग्लादेश में) में, एक अभूतपूर्व वंदे मातरम जुलूस निकला। इसमें दस हजार से अधिक प्रतिभागियों, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भाग लिया था।

इतिहास गवाह है कि जिन्ना को खुश करने के लिए पं. जवाहर लाल नेहरू ने उन द्वारा उठाई आपत्तियों के उत्तर में लिखा था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम् को भी राष्ट्गान के रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि सत्य यह है कि आनंदमठ के संन्यासी भवानन्द की तरह आज भी देशप्रेमियों के रगों में वंदे मातरम् गीत उबाल ला देता है और मां भूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है।

जिस देश के पीछे न जाने कितनी मां की गोद सूनी हो गई, कितनी महिलाओं की मांग के सिंदूर धुल गए, बंग-भंग आन्दोलन के समय जो गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा, बंगाल की खाड़ी से जिसकी लहरें इंगलिश चैनर पार कर ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई, जिस गीत के कारण बंगाल का बंटवारा नहीं हो सका, उसी गीत को अल्पसंख्यकों की तुष्टि के लिए खंडित किया गया। यहां तक कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए मातृभूमि को खंडित किया गया। उसके बाद भी जनमानस को उद्वेलित करने वाले इस गीत को प्रमुख राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।इस से बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। आज संसद में वंदेमातरम को लेकर जो खींचतान पक्ष विपक्ष कर रहा है वह भी वंदेमातरम की गरिमा से खिलवाड़ से अधिक कुछ नहीं है।

मनोज कुमार अग्रवाल

वंदे मातरम: अतीत की शक्ति, वर्तमान का आधार, भविष्य की प्रेरणा

भारत के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना में यदि किसी एक उद्घोष ने सर्वाधिक ऊर्जा, एकता और आत्मगौरव का संचार किया है, तो वह है 'वंदे मातरम्। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा की वह धड़कन है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के कठिनतम क्षणों में लाखों देशभक्तों को शक्ति, साहस और नैतिक दृढ़ता प्रदान की। फांसी के तख़्ते पर चढ़ते हुए वीरों के होंठों पर यही मंत्र था, जेल की यातनाओं को सहते स्वतंत्रता सेनानियों का संबल भी यही रहा। आज यह राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय एकता का अमर प्रतीक है- ऐसा प्रतीक जिस पर न विवाद होना चाहिए, न विभाजन, बल्कि केवल आदर और समर्पण।

वंदे मातरम् का इतिहास केवल साहित्यिक नहीं, बल्कि क्रांतिकारी है। उन्नीसवीं शताब्दी में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत 1905 के बंग-भंग आंदोलन के समय जन-क्रांति की धमनी बन गया। इसने बिखरी हुई राष्ट्रीय चेतना को एक सूत्र में बांधा और भारतीयों में स्वाधीनता का विश्वास जगाया।1905 से 1947 तक का पूरा स्वाधीनता संघर्ष इस उद्घोष से ऊर्जा पाता रहा।सत्याग्रहियों के लिए यह सत्य और निर्भीकता का प्रतीक बना;युवाओं के लिए यह समर्पण और नेतृत्व का मार्गदर्शक;और आम भारतीयों के लिए यह देशभक्ति का भावनात्मक स्रोत।कई सेनानी जेल जाते समय, लाठियाँ खाते समय और फांसी चढ़ते समय भी यही उद्घोष बोलते रहे- 'वंदे मातरम।' यह अतीत की वह शक्ति थी, जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संकल्प जन-जन में जगाया।

आज का भारत तकनीक, रक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और कूटनीति आदि विविध क्षेत्रों में विश्व पटल पर तेज़ी से उभर रहा है। लेकिन आधुनिक विकास के इस दौर में सामाजिक जिम्मेदारी, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है।यह विभिन्न भाषाओं, धर्मों और परम्पराओं को एक साझा भारतीय पहचान में पिरोता है।यह भारत की प्रकृति– नदियों, वनों, खेतों, धरती और मातृभूमि के सौंदर्य का काव्यमय उत्सव है, जो भौतिकतावादी युग में भी संवेदनाओं को जीवित रखता है।

भ्रष्टाचार, पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता और नैतिक विचलन के दौर में यह उद्घोष नागरिक कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रधर्म की याद दिलाता है। विशेषतः युवाओं के लिए वंदे मातरम् जड़ों से जुड़ने का मार्ग है। यह बताता है कि आधुनिकता का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाना है। भविष्य का भारत तकनीकी रूप से अत्याधुनिक होगा, लेकिन उसकी आत्मा भारतीयता में ही रची-बसी रहेगी। वंदे मातरम् उसी भारतीयता का शाश्वत प्रतीक है। एक ऐसी प्रेरणादायक ध्वनि, जो समय, परिस्थितियों और पीढ़ियों की सीमाओं से परे है।आने वाले समय में जब भारत वैश्विक मंच पर संस्कृति, ज्ञान, शांति और मानवता के आधार पर नेतृत्व करेगा, तब यह उद्घोष और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि उस समय यह याद दिलाएगा कि राष्ट्रभक्ति किसी धर्म या जाति की नहीं, बल्कि भारत की साझा विरासत है।यह संकेत देगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल वैज्ञानिक आवश्यकता नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक दायित्व है।और यह भाव जगाएगा कि देशभक्ति केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक आदर्श है।इस प्रकार वंदे मातरम् भविष्य का वह प्रेरणास्रोत बनेगा, जो प्रगति और परंपरा को संतुलन में रखते हुए भारत को विश्वगुरु बनने की दिशा में मार्गदर्शन देगा।

अतः यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि वंदे मातरम् केवल स्वतंत्रता आंदोलन का गीत नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय चरित्र, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक गौरव का शाश्वत घोष है। अतीत में इसने शक्ति और त्याग का संचार किया,वर्तमान में यह एकता और आत्मविश्वास का आधार है,और भविष्य में यह राष्ट्र की प्रेरणा और चेतना की अमर ध्वनि बना रहेगा।

डा मनमोहन प्रकाश

मूल्य आधारित सफलता के संयम,कठोर श्रम और संकल्प मूल आधार

श्रेष्ठ ध्येय की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं, चिंतन के साथ कठोर श्रम की आवश्यकता होती है। निराशा और चिंता मनुष्य की प्रगति के सबसे बड़े अवरोध हैं,ये मन के पंख काट देती हैं और व्यक्ति को स्थिर कर देती हैं। आवश्यकता है कि निराशा को तत्काल विचारों से अलग किया जाए और चिंता को मन में प्रवेश न करने दिया जाए, अन्यथा अत्यधिक चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाने में देर नहीं लगाती। सकारात्मक सोच, नवीन संकल्प, दृढ़ निश्चय और संयम के साथ आगे बढ़ना ही सफलता का सार मार्ग है। मन में यदि संकल्प दृढ़ हो जाए तो संघर्ष की हर आँधी को जिजीविषा की शक्ति से मोड़ा जा सकता है।

कठिन कार्यों को जीवन में पहले चुनना चाहिए, क्योंकि कड़ी चुनौती ही ऊर्जा, सामर्थ्य और इच्छाशक्ति की परीक्षा लेकर मनुष्य को असाधारण बनाती है। कठिनाइयों से घबराकर उनसे पलायन करना निराशा को जन्म देता है, और निराशा से बढ़कर कोई बाधा नहीं होती, इसलिए हताशा को त्यागें, उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें सफलता स्वयं आपके चरण चूमेगी। समाज में जो महान व्यक्ति विलक्षण रूप में हमारे सामने खड़े हैं– जिनको आज की भाषा में सेलिब्रिटी कहा जाता है, उनकी चमक के पीछे अनवरत श्रम, अदम्य मानसिक शक्ति, संयम और अटूट विश्वास छिपा होता है। बड़ी सफलता का कोई सरल उपाय या शॉर्टकट नहीं होता है।लेकिन कठिन परिस्थितियाँ ही मनुष्य की दृढ़ता को तेज करती हैं और संघर्ष उसे मंज़िल के करीब ले जाता है। मानव जीवन में इच्छाएँ, आकांक्षाएँ और प्रयत्न स्वाभाविक हैं, किंतु सफलता कभी भी मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूल्यहीन सफलता समाज के लिए संकट बन सकती है। यदि वैज्ञानिक अपनी क्षमता का उपयोग मानव कल्याण के लिए न करके जैविक या रासायनिक हथियारों के निर्माण में करे, तो वह प्रज्ञा विनाश में परिवर्तित हो जाती है यही कारण है कि सफलता के पीछे मानवीय मूल्य होना अनिवार्य है। मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता ही लक्ष्य की पवित्रता और उपलब्धि की स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। सफलता केवल स्थापित मापदंड नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण से जुड़ी होनी चाहिए।

विश्व की सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों में सत्य, अहिंसा, दया, सेवा, करुणा और विश्व बंधुत्व जैसे गुणों की स्पष्ट स्वीकृति दिखाई देती है, और इन्हीं आधारों पर वैश्विक विकास की अवधारणा निर्मित होती है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में आदर्शों की प्रतिबद्धता स्वर्णिम धरोहर रही है। ऋषि-मुनियों से लेकर संत-परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों तक– कबीर, रैदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चिश्ती, औलिया, रहीम, खुसरो, गांधी, नेहरू, टैगोर, विवेकानंद और सुभाषचंद्र बोस, इन सबने मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा को ही श्रेष्ठ सफलता माना और अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। सफलता का अर्थ केवल उपलब्धि नहीं बल्कि सत्य का सम्मान और करुणा की सेवा है। बिना मूल्यों की सफलता पानी की पतली धारा की तरह होती है, जो नदी का रूप नहीं ले सकती। राजनीति और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में तो मूल्यों का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण संवेदना, न्याय, कर्तव्य और नैतिकता के आधार पर ही संभव होता है। मूल्यहीन शासन समाज को विभाजन, भ्रम और अव्यवस्था की ओर धकेल देता है। राष्ट्र अपनी ही जड़ों को खोकर विखंडन की कगार पर पहुंच जाता है। सफलता तभी शाश्वत और स्थाई हो सकती है जब उसमें नैतिकता, सत्य, श्रम, संयम और मानवीय संवेदना का संगम हो। वही राष्ट्र दीर्घकालीन स्वतंत्र और सशक्त रह सकता है, जिसके नागरिक और नेतृत्वकर्ता मूल्यों, उसूलों और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना के साथ कार्य करते हों। अंततः जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन, पद या शोहरत नहीं, बल्कि वह आदर्श है जो हमारी पहचान को अमर बना देता है। चिरस्थाई सफलता का मार्ग केवल एक है निरंतर श्रम, अटूट संयम, सत्यनिष्ठ विचार और मानवीय मूल्य।

संजीव ठाकुर

TET की अनिवार्यता के साथ बदलाव जरूरी

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को ऋञ्ञश्व एक्ट-2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए अनिवार्य बनाया गया था ताकि बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा का अधिकार मिले। लेकिन पिछले दस साल से देश के लाखों शिक्षक, खासकर 2010-2015 के बीच नियुक्त हुए, जो इस परीक्षा के कारण नौकरी, प्रमोशन और मानसिक शांति खोने की कगार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 के फैसले में फिर स्पष्ट कर दिया कि TET अनिवार्य है। इसके बाबजूद 9 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की छूट भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है।

सबसे बड़ा फायदा शिक्षकों को होगा। लाखों शिक्षक, जिनमें अधिकांश 45-55 साल के हैं, एक लिखित परीक्षा के दबाव से मुक्त हो जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पहले से शिक्षकों की कमी है, यह कमी पूरा होगी। शिक्षकों में प्रमोशन रुकने का डर खत्म होगा, वेतन विसंगतियां दूर होंगी और शिक्षक संगठनों का आंदोलन शांत हो जाएगा। कई राज्यों में भर्ती प्रक्रियाएं भी तेज होंगी क्योंकि B.Ed करने वाले बिना TET दिए नौकरी पा सकेंगे।

असल, वर्तमान TET का स्वरूप ही सबसे बड़ी समस्या है। यह परीक्षा आज भी 10-12 साल पुराने सिलेबस और रटंत-आधारित प्रश्नों पर टिकी है, जबकि कक्षा में बच्चे डिजिटल टूल्स, प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अपेक्षा करते हैं। कई अनुभवी शिक्षक जो रोज़ कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, वे लिखित परीक्षा में असफल हो रहे हैं क्योंकि उनका कौशल अब पेपर टेस्ट में नहीं, बल्कि वास्तविक शिक्षण में नजर आता है।

दुनिया के कई विकसित देशों ने शिक्षक प्रमाणीकरण को लचीला और बहु-आयामी बना दिया है। अमेरिका में National Board Certification, फिनलैंड में पोर्टफोलियो मूल्यांकन और सिंगापुर में Performance-Based Assessment जैसे मॉडल सफलतापूर्वक चल रहे हैं। भारत में भी निष्ठा, दीक्षा और स्टश्वत्र्ञ्ज के मौजूदा ढाँचे का उपयोग कर एक हाइब्रिड प्रमाणीकरण प्रणाली बनाई जा सकती है जिसमें लिखित परीक्षा का वेटेज सिर्फ 30-40 प्रतिशत हो और बाकी कक्षा-प्रदर्शन, सहकर्मी समीक्षा तथा छात्र फीडबैक पर आधारित हो। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और शिक्षकों के साथ भी न्याय होगा

लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता पर गहरा सवाल खड़ा होता है। TET का मकसद सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि बाल मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र और विषय की बुनियादी समझ जांचना था। यदि अनुभव के नाम पर इसे पूरी तरह हटा दिया गया तो 15-20 साल पुरानी डिग्री या प्रशिक्षण आज भी प्रासंगिक है कैसे हो सकती है? खासकर तब जब NEP-2020 खुद निरंतर प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर जोर दे रही है। एक तरफ हम विकसित शिक्षा नीति एवं विकसित भारत का सपना देख रहे है, दूसरी तरफ समय के साथ गुणवतापूर्ण न्यूनतम मानक को ही ढीला करने को तैयार हैं।

सोचने वाली बात यह है कि समस्या TET से नहीं, बल्कि उसके कठोर एवं एकमात्र मानदंड के रूप में प्रयोग में है। इसका समाधान लिखित टेट में छूट नहीं, बल्कि अनुभवी शिक्षकों के लिए एक अलग 'अनुभवी शिक्षक प्रमाणीकरण कार्यक्रम' शुरू करना हो सकता है। इस कार्यक्रम में कार्यशालाओं, व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स, कक्षा-आधारित प्रदर्शन और स्कूल-स्तरीय मूल्यांकन के माध्यम से उनकी वास्तविक शिक्षण योग्यता का आकलन किया जाए। साथ ही 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए TET को आसान और विषय-केंद्रित बनाया जा सकता है।

अंत में, TET की अनिवार्यता की छूट न शिक्षा का भला करेगी, न शिक्षकों का। जरूरत संतुलित रास्ते की है, जहाँ अनुभव और कौशल का सम्मान हो और गुणवतापूर्ण शिक्षा का हक भी सुरक्षित रहे।

शिक्षकों का ज्ञान रटंत नहीं होना चाहिए बल्कि भविष्य के साथ तालमेल रखने वाला, निरंतर अद्यतन और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सक्षम होना चाहिए। इसके लिए TET को हटाना या ढीला करना समाधान नहीं, बल्कि इसे अधिक व्यावहारिक, लचीला और समय के साथ विकसित होता हुआ बनाना जरूरी है।

अम्बिका कुशवाहा 'अम्बी'

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

सचिवों का साइकिल सत्याग्रह, विरोध में साइकिल से पहुंचे ब्लॉक

मलिहाबाद। ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वय समिति के आह्वान पर बुधवार विकास खंड के सभी पंचायत सचिवों ने सरकार द्वारा दिए जा रहे 200 साइकिल भत्ते का अनूठे तरीके से विरोध किया। सचिवों ने मोटरसाइकिल समय में दिए जा रहे अपर्याप्त भत्ते के विरोध में विकास खंड की साप्ताहिक मीटिंग में साइकिल से पहुँचे। समिति के अध्यक्ष संजय गिरी ने बताया कि जब सचिवों को फील्ड में मोटरसाइकिल से व्यापक भ्रमण करना पड़ता है ऐसे में 200 भत्ता देना हास्यास्पद है इसी के विरोध में सभी सचिवों ने साइकिल से मीटिंग में हिस्सा लिया। सचिवों ने इस विरोध के प्रतीक के रूप में समस्त सचिवों ने यह संकल्प लिया है कि वे अब सरकारी योजनाओं के सुचारु संचालन के लिए फील्ड में केवल साइकिल द्वारा ही भ्रमण करेंगे। अध्यक्ष संजय गिरी ने कहा कि यह पहल एक तरफ सरकारी योजनाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है वहीं दूसरी ओर अपर्याप्त भत्ता मिलने के प्रति सांकेतिक विरोध है। इस मौके पर महामंत्री अनुज यादव एवं सचिव नासिर हुसैन समेत अन्य पदाधिकारी और सचिव मौजूद रहे।

प्राथमिक विद्यालय कसमंडी कला. 2 का नया भवन तैयार खंड शिक्षा अधिकारी ने किया लोकार्पण

मलिहाबाद। कसमंडी कला के प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का कार्यक्रम का संचालन अमृता वाजपेई ने किया जिसका लोकार्पण खंड शिक्षा अधिकारी पदमशेखर मौर्य ने किया लोकार्पण में ग्राम प्रधान रिंकी साहू, प्रधान प्रतिनिधि संजय साहू, व सचिव संजय गिरी, मुख्य रूप से उद्घाटन में उपस्थित रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय भवन की गुणवत्ता की सराहना की और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विगत 6 वर्षों से विद्यालय पंचायत भवन में चल रहा था विद्यालय के पास अपना कोई भवन नहीं था बावजूद इसके प्राथमिक विद्यालय कसमंडी कला.2. निपुण विद्यालय घोषित हुआ। इसके लिए यहां के प्रधानाध्यापिका व कार्यरत शिक्षक बधाई के पात्र है। इस अवसर पर पूर्व एआरपी व सक्रिय शिक्षक यादवेंद्र पांडे,सत्यप्रकाश पांडे,पंकज सोनी, योगेश द्विवेदी, राखी वर्मा, स्वतंत्र कुमार, अपर्णा गुप्ता, आरती श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, रेहना हाफिस आदि शिक्षक उपस्थित रहे जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य संजीत कुमार व शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष मनोज शुक्ल भी उपस्थित रहे।

14 दिसंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, डीएम ने कि हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाने की अपील

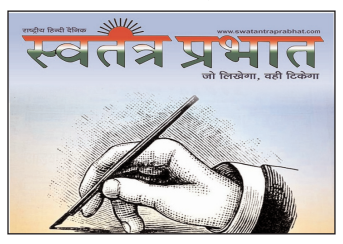

भदोही। जनपद में 14 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि 'हर अभिभावक अपने 0-5 वर्ष के बच्चों को अवश्य पोलियो ड्रॉप पिलाएं, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रह जाए। 'स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में 0-5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 18,90,821 है। इतने बड़े लक्ष्य को देखते हुए विभाग ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है और इस बार पोलियो उन्मूलन के लिए विशेष सावधानी के साथ टीकाकरण दलों का गठन किया गया है। अभियान के पहले दिन 14 दिसंबर को बूथ दिवस मनाया जाएगा, जबकि 15 से 19 दिसंबर तक स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों को चिन्हित करेंगी जो बूथ पर आने से छूट जाते हैं, और उन्हें वहीं पर पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान हर नागरिक की जिम्मेदारी है और अभिभावकों के सहयोग से ही पोलियो को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य सफल हो सकता है।

आवारा कुत्ते का आतंक 9 लोगों को बनाया निशाना, सात लोग गंभीर लखनऊ रेफर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। के महमूदाबाद कस्बे में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक आवारा कुत्ते ने मुख्य बाजार और आसपास के इलाकों में आतंक मचा दिया करीब दो घंटे तक कुत्ते ने अलग-अलग स्थानों पर लोगों को निशाना बनाते हुए नौ लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर सात लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया गया वही कुत्ते के हमले एक सीसीटीवी भी सामने आया है प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार शाम रन्नी निवासी उत्कर्ष वर्मा डी-फार्मा की परीक्षा देकर घर लौट रहे थे बेलदारी टोला की गली में अचानक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर पैर और हाथ में काट लिया इसके बाद कुत्ते ने रामपुर-मथुरा मार्ग स्थित टैम्पो स्टैंड के पास भट्ठा निवासी मकसूद (35) पुत्र याकूब को दाहिने पैर और बाएं हाथ के अंगूठे में काटकर घायल कर दिया इसके बाद चिकमंडी चौराहे पर बथुआ खरीद रहे बेहटा निवासी ऑटो चालक सरवर (50) पुत्र रज्जू खां पर कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे उनके बाएं पैर और हाथ में गंभीर चोट आई बघाइन निवासी सुमन (45) पत्नी प्रेमचंद, जो बैंक से लौटते समय पति के साथ थीं, को चतुराबेहड़ के पास कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया वहीं नहर पटरी किनारे लकड़ी बीन रही मुन्नी (45) पत्नी बाबू को भी कुत्ते ने घायल कर दिया रामपुर-मथुरा मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास भिटौरा निवासी मोहम्मद हनीफ (25) पुत्र रहमान को कुत्ते ने नोच लिया नई बाजार निवासी शिवा (14) और उनके पिता राजेश (35) को घर के बाहर ही कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया इसके बाद गोपालपुर निवासी हैप्पी वर्मा पुत्र दिनेश को भी कुत्ते ने उसी क्षेत्र में घायल कर दिया सभी घायलों को सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद हैप्पी, राजेश और शिवा को छोड़कर घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि करीब दो घंटे तक कुत्ते का आतंक बना रहा, लेकिन नगर पालिका या प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप, पिता ने दबंगों पर धमकी देने का लगाया आरोप

गोपीगंज। थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने सराय जगदीश गाँव के युवक नवशाद अली पुत्र टमाटर अली पर उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को शादी व दुष्कर्म के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर भगाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पिता का कहना है कि घटना शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे की है। शिकायत करने पर नवशाद के पिता टमाटर अली व भाई सद्दन ने न सिर्फ आरोपों से इनकार किया, बल्कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज और झगड़े पर आमादा हो गए। पीड़ित के अनुसार आरोपित नवशाद अली पिछले कई दिनों से घोसिया में अपने रिश्तेदार के घर रह रहा था और दो दिन पहले गांव में भी दिखाई दिया था। परिवार ने बताया कि आरोपी पक्ष ने बड़े नेताओं से संबंध होने का दावा करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे परिवार भयभीत है। नाबालिग की खोजबीन के बाद पीड़ित पिता ने गोपीगंज थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही में जुटी।

उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला द्वारा भूमि पर अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां सीतापुर तहसील बिसवां अंतर्गत ग्राम लालपुर परगना बिसवां स्थित शत्रु सम्पत्ति गाटा संख्या 69, 92, 148, 271 तथा 353 कुल क्षेत्रफल लगभग 52 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा धारक रमेश चंद्र पुत्र बच्चू लाल निवासी ग्राम देवियापुर थाना सदरपुर द्वारा किए गए। कब्जे से उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला द्वारा भारी पुलिस बल की उपस्थिति में जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। इस भूमि की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताते चलें कि उपरोक्त जमीन शत्रु संपत्ति थी जिस पर प्रधान रमेश चंद्र के द्वारा जबरन कब्जा किया गया था साथ ही साथ उस पर खस की खेती की जा रही थी जिसको बुलडोजर चलाकर नष्ट कर प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त भी कर लिया है।

इस मौके पर एसडीएम शिखा शुक्ला ने कहा अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा पूर्व में भी उपरोक्त व्यक्ति को चेतावनी दी गई थी। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष सदरपुर क्षेत्रीय लेखपाल तथा प्रशासन के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे।

औरंगजेब-बाबर का फूंका पुतला, बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण का आज़ाद भगत संगठन ने किया विरोध

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में 'आजाद हिन्द भगत संगठन' के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब और बाबर का पुतला फूंका यह विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण के विरोध में किया गया। संगठन ने विदेशी आक्रांताओं से जुड़ी स्मृतियों और निशानियों को देश से पूरी तरह समाप्त करने की मांग की प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मुगल आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक आस्थाओं को क्षति पहुंचाई संगठन के सदस्यों ने कहा कि इन शासकों के दौर में मंदिरों को तोड़ा गया गोवंश को नुकसान पहुंचाया गया और महिलाओं व आमजन पर अत्याचार हुए संगठन इन मुद्दों पर लंबे समय से विरोध दर्ज करा रहा है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत की पहचान उसकी प्राचीन सनातन संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों से है, जहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्र और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले आक्रांताओं का महिमामंडन स्वीकार्य नहीं है। संगठन के सदस्यों ने इस विरोध को दशहरे पर रावण दहन से जोड़ते हुए कहा कि जिस प्रकार बुराई के प्रतीक का विरोध किया जाता है, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं का प्रतीकात्मक विरोध करने का अधिकार समाज को है उन्होंने सवाल उठाया कि जिन शासकों का इतिहास अत्याचारों से भरा रहा उनके स्मृति चिन्हों को क्यों संरक्षित किया जाए प्रदर्शन के दौरान संगठन ने मांग की कि ऐसे आक्रांताओं का समर्थन या महिमामंडन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश श्रीराम, श्रीकृष्ण, महावीर जैन और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों के आदर्शों पर चलेगा न कि विदेशी आक्रांताओं के आचरण पर प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा!

अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी,शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस

गोपीगंज। थाना गोपीगंज क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नंबर 14 हनुमानगढ़ी में करीब 35 वर्ष के एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मंगलवार रात्रि में डायल 112 पर सूचना दी गई कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस का यह भी अनुमान है कि युवक बाहरी इलाके का हो सकता है, जिसके चलते आसपास के थानों और अन्य माध्यमों से भी सूचना प्रेषित की जा रही है।भदोही पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति इस अज्ञात युवक के बारे में कोई जानकारी रखता हो, वह आगे आकर पुलिस की मदद करे और सूचना दे। संपर्क हेतु प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज (9454404321) एवं क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर (9454401601) के नंबर जारी किए गए हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

बिहार से मजदूरी करने आई किशोरी की हुई मौत जहरीला पदार्थ खाने की आशंका, इलाज़ के दौरान तोड़ा दम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र में बिहार से मजदूरी करने आई 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई बताया जाता है कि किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद इलाज के दौरान मंगलवार देर रात जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई घटना के बाद परिजन सदमे में हैं और आत्महत्या के कारण को लेकर अनजान बने हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान पूनम देवी (15 वर्ष) निवासी अलवर, बिहार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पूनम अपने परिजनों के साथ बिहार से तालगांव थाना क्षेत्र के धोधी इलाके में नाला निर्माण कार्य के लिए एक ठेकेदार के माध्यम से मजदूरी करने आई थी। परिजनों के मुताबिक वह कुछ दिनों से यहीं रहकर काम कर रही थी काम से वापस आने पर मंगलवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई कि किशोरी ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उपचार शुरू किया। लेकिन इलाज के दौरान देर रात किशोरी ने दम तोड़ दिया किशोरी ने जहरीला पदार्थ किन परिस्थितियों में और क्यों खाया, इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है परिजन इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध हैं और किसी तरह की पारिवारिक या कार्य संबंधी परेशानी से भी इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूनम सामान्य रूप से काम कर रही थी और किसी प्रकार की परेशानी की बात उसने कभी नहीं बताई थी घटना की जानकारी मिलते ही तालगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और यह जांच की जा रही है कि किशोरी ने जहरीला पदार्थ कहां से और किन हालात में प्राप्त किया!!

ट्राई साइकिल वितरण से खिले दिव्यांगों के चेहरे

● विधायक के प्रयास से अब आत्मनिर्भरता की राह आसान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद। दिव्यांगजनों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सरकार की पहल के अनुरूप, बुधवार को मलिहाबाद में एक सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय विधायक जयदेवी कौशल की उपस्थिति में, कुल 41 दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें वितरित की गईं, जिससे उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई।ट्राई साइकिल पाकर दिव्यांगों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे इंतजार और कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार उन्हें यह सहायक उपकरण मिल पाया है। इस अवसर पर, विधायक जयदेवी कौशल ने स्वयं दिव्यांगों को ट्राई साइकिलें सौंपकर वितरण की शुरुआत की।प्रधान संघ अध्यक्ष अखिलेश सिंह अंजू ने इस कार्य को पुनीत कार्य बताते हुए कहा कि दिव्यांगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है।

ट्राई साइकिल प्राप्त करने वाले पुरवा निवासी रामदास और महमूदनगर निवासी बनवारी ने अपनी पुरानी समस्याओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि पहले ट्राई साइकिल न होने के कारण कहीं भी आने-जाने के लिए उन्हें किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती थी जिससे उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।लेकिन अब सरकार के द्वारा हम लोगों को ट्राई साइकिल दी गई है, जिससे अब हम छोटे-छोटे काम स्वयं कर लेंगे। सरकार को हम लोगों का दर्द दिखा, जिसके लिए हम सरकार के सदैव आभारी रहेंगेउन्होंने कहा।इस वितरण समारोह में ब्लॉक प्रमुख निर्मल वर्मा, महमूदनगर प्रधान सर्वेश कुमार, लल्ला यादव सहित दर्जनों गणमान्य लोग और ग्रामीण उपस्थित रहे।

केक काटकर मनाया गया बीमा सखियों का प्रथम वर्षगांठ....

बस्ती। बस्ती जिले मेंमालवीय रोड स्थित एल.आई.सी. कार्यालय के सभागार में बीमा सखियों का प्रथम वर्षगांठ उल्लास के बीच केक काटकर मनाया गया। मुख्य प्रबंधक राजेश मलिक ने एलआईसी बीमा सखी योजना के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि महिलायें बीमा एजेंट बनकर स्थिर आय, स्टाइपेंड और करियर के अवसर का लाभ उठा सकती हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं 10वीं पास योग्यता के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. तीन साल की ट्रेनिंग में हर महीने 7,000 रुपये तक स्टाइपेंड और कमीशन कमाने का मौका मिलता है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर बीमा जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनती है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक ऐसा मॉडल शुरू किया है, जो सिर्फ बीमा नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर सीधा असर डालता है। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई एलआईसी बीमा सखी योजना महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंट बनाकर गांवों में बीमा जागरूकता बढ़ाने का बड़ा माध्यम बन गयी है।

ऑनलाइन उपस्थिति व कम यात्रा भत्ते के विरोध में पंचायत सचिवों का साइकिल मार्च, चेताया- मांगें न मानी गईं तो होगा बड़ा आंदोलन

● ....मोहनलालगंज ब्लॉक में सचिवों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, यात्रा भत्ता बढ़ाने और ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार की उठी जोरदार मांग।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज। लखनऊ मोहनलालगंज ब्लॉक में बुधवार को ग्राम पंचायत सचिवों ने अपनी समस्याओं और बढ़ती चुनौतियों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऑनलाइन उपस्थिति लागू किए जाने और मात्र सौ रुपये प्रतिदिन मिलने वाले यात्रा भत्ते को अत्यंत कम बताते हुए सचिवों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए साइकिल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सुबह विभिन्न ग्राम पंचायतों से एक दर्जन से अधिक पंचायत सचिव साइकिलों पर सवार होकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर शांतिपूर्वक धरना देकर अपनी मांगों को मुखर किया। सचिवों का कहना था कि सौ रुपये प्रतिदिन की यात्रा राशि में दूर-दराज के गांवों में लगातार दौड़-धूप करना, फील्ड वर्क पूरा करना, रिपोर्टिंग करना और सरकारी बैठकों में समय से पहुंचना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं रह गया है। सचिवों ने बताया कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग और गांव स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में पंचायत सचिवों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

ऐसे में अत्यधिक फील्ड वर्क और बढ़ते दायित्वों के बावजूद यात्रा भत्ता न बढ़ाए जाना उनकी कठिनाइयों को और बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर, ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था ने समस्याओं को और जटिल कर दिया है। सचिवों ने कहा कि कई पंचायत क्षेत्रों में नेटवर्क की खराब स्थिति के कारण समय पर उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल हो जाता है, जिससे अनावश्यक दबाव और दंड की स्थितियाँ बनती हैं। विरोध कर रहे सचिवों ने यात्रा भत्ता बढ़ाए जाने, ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया में सुधार, तथा कार्य के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन को अगले चरण में ले जाने के लिए बाध्य होंगे। विरोध में शामिल सचिवों में शशांक शुक्ला, शुभम मिश्रा, अनीता मिश्रा, साधना रावत, सुनीता पाल सहित कई अन्य उपस्थित रहे। पंचायत सचिवों के इस साइकिल मार्च ने क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया है और अब सभी की निगाहें प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।

डीएम के निरीक्षण में 6 लोगों पर कार्रवाई दो एएनएम को सेवा समाप्ति की नोटिस, पंचायत सचिव निलंबित, कटा एक का वेतन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं और ग्राम स्तर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने वीएचएसएनडी के अवसर पर सिधौली विकास खंड के ग्राम सचिवालय बाड़ी का औचक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान कई गंभीर लापरवाहियां सामने आने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय एएनएम रंजू देवी मौके पर अनुपस्थित पाई गईं। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल उन्हें नोटिस जारी करने तथा सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका को भी असंतोषजनक बताते हुए उन्हें नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए प्रभारी चिकित्साधिकारी से वार्ता करते हुए डीएम ने वीएचएसएनडी दिवस में लापरवाही को गंभीर बताते हुए कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद जिलाधिकारी पंचायत भवन जटहा, विकास खंड सिधौली पहुंचे, जहां एक बार फिर औचक निरीक्षण किया गया यहां वीएचएसएनडी दिवस के दौरान एएनएम सोनी शुक्ला के विलंब से आने पर जिलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए पंचायत भवन की व्यवस्थाएं भी संतोषजनक नहीं पाई गई पंचायत सहायक से बातचीत के दौरान अव्यवस्थाएं उजागर हुई पंचायत भवन में व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को पंचायत सचिव आरती यादव को निलंबित करने के निर्देश दिए वहीं आंगनबाड़ी कार्यकत्री की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए ड्यू रजिस्टर और अन्य अभिलेख अद्यतन न मिलने पर बीपीएम राजू मौर्य को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का वेतन काटने के भी निर्देश दिए गए जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे!!

बच्चे का कुएं में मिला शव इलाक़े में मचा हड़कंप, घर के पास से खेलते समय हुआ था लापता

● ....मोहनलालगंज ब्लॉक में सचिवों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, यात्रा भत्ता बढ़ाने और ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार की उठी जोरदार मांग।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौली गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक 8 वर्षीय बालक का शव गांव के ही एक कुएं से बरामद हुआ। मृतक की पहचान आदित्य उर्फ अतिब पुत्र सुरेश कुमार निषाद के रूप में हुई है, जो बीते रविवार से लापता था बालक का शव बुद्धा पुत्र सरजू के दरवाजे पर स्थित कुएं में उतराता हुआ मिला जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 10 बजकर 30 मिनट पर बच्चे की छोटी बहन चांदनी खेलते हुए कुएं के पास पहुंची उसने जब कुएं में शव को उतारते देखा तो वह जोर-जोर से चीखने चिल्लाने लगी बच्ची की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे इसके बाद कुएं में उतरकर शव को बाहर निकाला गया। शव बाहर आने पर उसकी पहचान रविवार से लापता आदित्य उर्फ अतिब के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक रविवार को आदित्य अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी वह अचानक लापता हो गया था देर शाम तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका गांव के पास चौका नदी बहने के कारण परिवार को आशंका थी कि कहीं बालक नदी में तो नहीं डूब गया इसी आशंका को लेकर परिजन लगातार परेशान थे। सोमवार को पीड़ित पिता सुरेश कुमार केवट ने थानगांव थाने में घटना को लेकर तहरीर दी थी इस संबंध में थानगांव थानाध्यक्ष विमल गौतम ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर सोमवार को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था बुधवार को उसी बालक का शव घर के पास स्थित कुएं से बरामद हुआ है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है घटना की सूचना पर क्षेत्रीय लेखपाल नरेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट तहसील प्रशासन महमूदाबाद को भेज दी है पुलिस मामले की जांच कर रही है बालक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त है!!

पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप की बुकिंग 15 दिसंबर तक; किसानों में बढ़ी उ मीदें

देवरिया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग अब 15 दिसंबर तक की जा सकेगी। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य के अनुसार 26 नवंबर से शुरू यह प्रक्रिया किसानों की सुविधा को देखते हुए जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए बुकिंग की मु य शर्तों के तहत विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। बुकिंग करें लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन 1 5 हजार रूपये टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी चयन ई-लाटरी प्रणाली से होगा।बोरिंग की क्षमता के अनुसार 2HP से 10HP तक के प प उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जलस्तर के आधार पर ही उपयुक्त प प का चयन किया जाएगा ताकि किसानों को सिंचाई में अधिकतम लाभ मिल सके। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे दर्शन पोर्टल-2 पर पंजीकरण करा सकते हैं।

संक्षिप्त खबरें

पांच अभियुक्तगणों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही

हमीरपुर :- पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही एवं प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के थाना सुमेरपुर, बिवांर, जरिया व थाना जलालपुर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित व जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित व जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं छः माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण मे विकास सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मोहल्ला वार्ड नं0 15 नई बस्ती थाना व कस्बा सुमेरपुर,मयंक पुत्र भान सिंह निवासी ग्राम लोधामऊ थाना विबार, भरत पुत्र मूरतध्वज निवासी ग्राम इटैलिया बाजा थाना जरिया,तेजराम पुत्र परशुराम निवासी ग्राम न्यूलीबासा थाना जलालपुर व बृजेन्द्र पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम पुरैनी थाना जलालपुर को छः माह के लिए किया गया जिला बदर।

एक माह के बाद तीन वर्षीय बालिका अपने परिवार से मिली

हमीरपुर :- थाना सुमेरपुर में 13 नवंबर को एक लावारिस बालिका जिसकी उम्र लगभग तीन साल की है जिसकी माता की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी,उक्त बालिका को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण इकाई में आवासित कराया गया था, सूत्रों से ज्ञात हुआ कि बालिका का पिता बब्बी राजपूत उर्फ बब्बू कानपुर कारागार में निरुद्ध है, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष द्वारा कानपुर जेल अधीक्षक से बात करके कानपुर कारागार में निरुद्ध बब्बी से मिली,बब्बी द्वारा अध्यक्ष महोदया को बयान दिया की जब तक वो कारागार में है तब तक उसकी बालिका उसके पिता व उसकी बहन के संरक्षण में रहेगी।आज बुधवार को बाल कल्याण समिति द्वारा बालिका को उसके बाबा व बुआ के सुपुर्द किया गया। इस पूरे प्रकरण में बालिका को उसके परिवार से मिलाने में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष महोदया ने बहुत सराहनीय कार्य किया है।

मनवाधिकार दिवस पर किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

चित्रकूट- मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मानवाधिकारी सुरक्षा संगठन द्वारा भी जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन कर मानवाधिकारों के महत्व पर चर्चा की गई। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता ने कहा कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, समानता और सुरक्षा से जुड़े मूल सिद्धांत हैं। बच्चों एवं किशोरों को इनके प्रति जागरूक कर सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है। उन्होंने बाल संरक्षण, आत्म-सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास की महत्ता पर विशेष प्रकाश डालते हुए किशोरों को मानव अधिकारों, किशोर न्याय अधिनियम एवं जीवन में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। किशोरों ने विभिन्न सत्रों में सक्रिय भागीदारी की और जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लिया। इस दौरान किशोरों के बीच जागरूकता सामग्री भी वितरित की गई। इस मौके पर संस्था प्रभारी वीर सिंह, सहायक अध्यापक अभिषेक त्रिपाठी, परामर्शदाता मानवेन्द्र मिश्रा, परामर्शदाता दीपक शर्मा, ममता शर्मा आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा सिंचाई कॉलोनी कर्वी में संगोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें संगठन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारियों ने मानवाधिकारों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की तथा निर्बल, असहाय व पात्र व्यक्तियों को समुचित लाभ दिलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री छोटे लाल गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष संजुला पाण्डेय, उपाध्यक्ष अराधना सोनी, सचिव शालू केशरवानी, प्रमोद सिंह, जिला महामंत्री रेखा सिंह, किशन मोदनवाल, रविकिशन त्रिपाठी, पूनम सैनी, प्रमिला मिश्रा, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहें।

दबंगई के आगे विभाग भी नतमस्तक

●हम ऐसे ही दबंगई से रोड निर्माण करेंगे

और अपने तरीके से मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे

हमारे रोड निर्माण के आगे अच्छे-अच्छे घुटनों टेक दिए हैं ऐ यह है उनकी बातें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बुढ़ार/सिरौंजा। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरौंजा से खैरहा रोड तक बनाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की दबंगई खुलकर सामने आ गई है। विभाग द्वारा घटिया निर्माण पर कार्य बंद कराने के आदेश के बावजूद ठेकेदार मनमानी करते

हुए जबरन काम जारी रखे हुए है। आरोप है कि ठेकेदार के अधीनस्थ कर्मचारी अविनेंद्र ने विभागीय कर्मचारी को उठा लेने की धमकी तक दे डाली है। मामले की शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों से की गई है।

घटिया निर्माण और स्थानीय विरोध

एसईसीएल द्वारा सिरौंजा से खैरहा रोड तक 90 लाख रुपये की लागत से साढ़े 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का ठेका सांवरिया कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। काम शुरू होते ही सड़क उखड़ने लगी, जिसे दैनिक भास्कर में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। स्थानीय लोगों ने भी घटिया सड़क निर्माण का विरोध किया। शिकायतों के बाद सिविल विभाग ने नोटिस जारी कर ठेकेदार को तुरंत काम बंद करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद भी ठेकेदार के कर्मचारी अविनेंद्र ने सर्वेयर से अभद्रता की और धमकी दी। इंजीनियर सीपी शुक्ला के मुताबिक सड़क निर्माण निर्धारित मानकों के विपरीत किया गया है, इसलिए ठेकेदार को सड़क उखाड़कर पुनः निर्माण के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके कर्मचारी गुंडागर्दी पर उतारू है और गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में काम पूरा करने की फिराक में है।

विभाग की लापरवाही पर उठ रहे सवाल

सड़क की खराब गुणवत्ता और ठेकेदार की खुली मनमानी के बावजूद सिविल विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

दलित के साथ की गाली गलौज और मारपीट, मुकदमा दर्ज

हमीरपुर :-सुमेरपुर विकासखण्ड क्षेत्र के पंधरी गांव में सोमवार को दो युवको ने दलित युवक को रास्ते में रोककर अकारण गाली गलौज शुरू कर दी मना करने पर दोनों जाति सूचक शब्दों के साथ गाली देते हुए लाठियों से पीटकर लहुलुहान कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पंधरी निवासी सर्वेश कुमार अनुरागी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 8 दिसंबर की रात 7:30 बजे हुए घर पर आ रहा था गोसाई बाबा स्थान के समीप गांव निवासी नीलेश साहू, गौरव सिंह ने रोककर गाली गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना करने पर दोनों ने जातिसूचक गालियां देते हुए लाठियों से पीटकर लहुलुहान कर दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 352, 351(3)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

प्राथमिक विद्यालय कसमंडी कला. 2 का नया भवन तैयार खंड शिक्षा अधिकारी ने किया लोकार्पण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद। कसमंडी कला के प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का कार्यक्रम का संचालन अमृता वाजपेई ने किया जिसका लोकार्पण खंड शिक्षा अधिकारी पदमशेखर मौर्य ने किया लोकार्पण में ग्राम प्रधान रिंकी साहू, प्रधान प्रतिनिधि संजय साहू, व सचिव संजय गिरी, मुख्य रूप से उद्घाटन में उपस्थित रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय भवन की गुणवत्ता की सराहना की और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विगत 6 वर्षो से विद्यालय पंचायत भवन में चल रहा था विद्यालय के पास अपना कोई भवन नहीं था बावजूद इसके प्राथमिक विद्यालय कसमंडी कला.2. निपुण विद्यालय घोषित हुआ। इसके लिए यहां के प्रधानाध्यापिका व कार्यरत शिक्षक बधाई के पात्र है। इस अवसर पर पूर्व एआरपी व सक्रिय शिक्षक यादवेंद्र पांडे,सत्यप्रकाश पांडे,पंकज सोनी, योगेश द्विवेदी, राखी वर्मा, स्वतंत्र कुमार, अपर्णा गुप्ता, आरती श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, रेहना हाफिस आदि शिक्षक उपस्थित रहे जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य संजीत कुमार व शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष मनोज शुक्ल भी उपस्थित रहे।

मुकाबला भाजपा से नहीं चुनाव आयोग से है-राजाराम पाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- सुमेरपुर कस्बा के दुग्ध डेयरी मार्ग में एसआईआर पीडीए प्रहरी जन जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा के एसआईआर प्रभारी पूर्व सांसद राजाराम पाल ने कहा कि मुकाबला भाजपा से नहीं चुनाव आयोग से है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में पीडीए मतदाताओं को बाहर कर रहा है। सपा के बूथ अध्यक्ष मुस्तैदी के साथ प्रत्येक बूथ में मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म भरवाकर जमा करायें। भाजपा के साथ समाजवादी पार्टी एसआईआर के प्रति बेहद गंभीर है। इसके लिए प्रत्येक जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। बुधवार को कस्बे के दुग्ध डेयरी मार्ग के हरिप्रिया गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम

में जिले के एसआईआर प्रभारी पूर्व सांसद राजाराम पाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि आयोग से चल रहा है। चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर पीडीए समाज के मतदाताओं को बाहर कर रही है। यह लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है। उन्होंने कहा कि सभी बूथ अध्यक्ष अपने-अपने बूथों में मुस्तैदी के साथ मतदाताओं के फार्म भरवाने में सहयोग करें। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष इदरीश खान ने बताया कि सभी बूथों में बूथ अध्यक्षों ने रात दिन मेहनत करके 92 फीसदी मतदाता फॉर्म जमा करा दिए हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम को वरिष्ठ सपा नेता शुभकरण सिंह परिहार, पूर्व जिलाध्यक्ष राजबहादुर पाल, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह यादव, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह यादव, शिवशरण यादव, नरायण दास अकेला, रामप्रकाश प्रजापति, अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव फरीद भाई, ओपी सोनकर, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अजय उर्फ कल्लू यादव ने संबोधित किया। इस मौके पर लाल सिंह यादव, सलीम मंसूरी, बदलू फौजी, अशोक यादव, रण बहादुर यादव, पिंटू यादव, अभय प्रताप सिंह आदि सैकड़ों सपाई मौजूद रहे। संचालन जिला उपाध्यक्ष परशुराम प्रजापति ने किया।

चंद्रावल नदी के पुनरोद्धार के बाबत जिलाधिकारी ने ली बैठक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- जलोदय जल अभियान के अन्तर्गत चन्द्रावल नदी के पुनरोद्धार कार्य को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सभी सम्बधित विभागों, उद्यमियों, खनन पट्टाधारकों, स्वयं सेवी संगठनों एवं पत्रकार बन्धुओं के साथ आवश्यक बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता, मौदहा बॉध निर्माण खण्ड, हमीरपुर एवं अधिशाषी अभियन्ता लघु सिंचाई हमीरपुर को निर्देशित करते हुए बताया गया कि यह एक पुनीत कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। इस कार्य हेतु पंचायतीराज विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, खनन विभाग, उद्योग विभाग, लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, चिकित्सा विभाग आदि के जो भी उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए है, वे अपने उत्तरदायित्वों से भलीभॉति

परिचित हो लें। उन्होने बताया कि चन्द्रावल नदी के पुनरोद्धार कार्य का शुभारम्भ 17 दिसम्बर 2025 को प्रातः 10:00 बजे से किया जाएगा। यह कार्य पूर्णतयः जन सहयोग से किया जाना है। उन्होने जनपद की मीडिया को सूचित करते हुए कहा कि चन्द्रावल नदी पुनरोद्धार कार्य मशीनों के बिना सम्भव नहीं है और मशीनों का प्रयोग मनरेगा योजना से नहीं किया जा सकता है अपितु यह कार्य स्थानीय जन सहयोग, इण्डस्ट्रीज, खनन पट्टाधारकों के सहयोग से कराया जा रहा है। इस पवित्र, पर्यावरण संरक्षण एवं जनहित के कार्य में जनपद के मीडिया की अहम भूमिका होगी ताकि यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ सकुशल सम्पन्न हो सके।

इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि चन्द्रावल नदी जनपद महोबा से ग्राम गुढ़ा में प्रवेश करती है और जनपद हमीरपुर में 62 किलोमीटर लम्बे प्रवाह क्षेत्र के साथ बॉदा जनपद में केन नदी में मिल जाती है। इस नदी की जलग्रहण क्षमता 990 वर्ग किलोमीटर की है। यह नदी जनपद हमीरपुर के 18 ग्रामों से गुजरती है जिसमें कई छोटे-बड़े नाले आकर मिलते है। उन्होने इस कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नदी पुनरोद्धार के कार्य को पूरी कुशलता के साथ किया जाए और इस बात का ध्यान रहे कि नदी का बहाव किसी भी प्रकार से बाधित न हो। नदी की गहराई और उसकी चौड़ाई में एकरूपता रहनी चाहिए। नदी की सिल्ट उठाकर पैच में लगाई जाए तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार के अवैध खनन की शिकायत न मिले, अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरूण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी, डीसी मनरेगा राघवेन्द्र सिंह सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी गण, उद्यमी, खनन पट्टाधारक, ग्राम प्रधान, पत्रकार बन्धु, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे।

आगामी 13 दिसम्बर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत निकाली गई जागरूकता रैली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- बुधवार के दिन जनपद न्यायाधीश श्री मनोज कुमार राय एवं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ,जी0 पी0 सिंह की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.12.2025 के सफल आयोजन हेतु पॉक्सो न्यायालय की पीठासीन अधिकारी कीर्ति माला एवं सिविल जज (सी0डि0) , निहारिका जायसवाल द्वारा लोक अदालत के प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वैन का मुख्य उद्देश्य लोक अदालत के सम्बन्ध में जानकारी देकर आम जन मानस को जागरूक करना है इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वार बताया गया कि

जनपद के दूरस्थ स्थानों पर जायेगी ताकि ग्रामीण लोगों को भी लोक अदालत के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे न्यायालयों में लम्बित मामले व ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस आदि के मामलों को अधिक से अधिक निस्तारित कराया जा सके। प्रचार वाहन जनपद न्यायालय हमीरपुर से बस स्टैण्ड, कालपी चैराहा, सिटी फॉरेस्ट, जिला अस्पताल, डिग्गी से होते हुये लक्ष्मीबाई तिराहा, मेरापुर, भिलावां, रमेड़ी तिराहा दीक्षित स्वीटस, कोतवाली से चौरादेवी से कुरारा व सुमेरपुर से सम्बन्धित गांव के विभिन्न स्थानों में प्रचार वैन के माध्यम से लोगो को जानकारी प्रदान की गयी। इस अवसर पर प्रथम अपर जिला जज श्री उदय वीर सिंह, विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, श्री रनवीर सिंह, विशेष न्यायाधीश द.प्र.क्षे. श्री अनिल कुमार खरवार, मुख्य न्यायिक मजिस्टेऊट श्री विनय कुमार, सिविल जज सी.डि./एफ.टी.सी. श्रीमती वन्दना अग्रवाल, सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0(महिलाओं के विरूद्ध अपराध) , कीर्ति मिश्रा, सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0 सुश्री शैली शरण, अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत प्रमोद कुमार आदि लोग उपस्थित रहें।

मानवाधिकार दिवस के मौके पर ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं को किया जागरूक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- बुधवार के दिन मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर के तत्वाधान में एक सशक्त एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन राजकीय बालिका इण्टर कालेज, हमीरपुर में किया गया। इस कार्यक्रम का शीर्ष नेतृत्व प्राधिकरण के सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार पाण्डेय ने किया, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सरस्वती, संस्था के प्रमुख अध्यापकगण, और विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसमें प्रधानाचार्य श्रीमती सरस्वती ने सभी अतिथियों और उपस्थित सदस्यों का हृदय से स्वागत किया। उन्होंने मानवाधिकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मानवाधिकार केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व और गरिमा का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनते हुए समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डॉ. महेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा संविधान दिवस, पाक्सो एक्ट (Protection of Children from Se&ual Offences Act), एवं घरेलू हिंसा से संबंधित जागरूकता विषय पर विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि संविधान में निहित मौलिक अधिकार

हर नागरिक का अभिन्न हिस्सा है और इसके संरक्षण के लिए समर्पित होना सभी का कर्तव्य है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पाक्सो एक्ट के उद्देश्य और उसकी आवश्यकता पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि यह कानून खासतौर पर बच्चों को यौन शोषण, अत्याचार और शारीरिक नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही सचिव द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों को सतर्क रहने और किसी भी आपराधिक कृत्य की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने का निर्देश भी दिया।

घरेलू हिंसा के विषय पर बात करते हुए, सचिव द्वारा बताया गया कि घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक अत्याचार भी शामिल हैं। उन्होंने महिलाओं, वृद्धों और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया। विद्यार्थियों को बताया गया कि वे अपने अधिकारों से अवगत हों और यदि किन्हीं दिक्कतों का सामना करते हैं तो

संबंधित संस्थानों और विधिक सेवा प्राधिकरण से तत्काल मदद प्राप्त करें।

कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मानवाधिकार की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें सभी उपस्थित छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अन्य सदस्यों ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और उनका उल्लंघन न करने की शपथ दिलायी गयी। यह शपथ हर नागरिक के प्रति उनके नैतिक और सामाजिक दायित्व को याद दिलाती है।

इस अवसर पर उपस्थित सभी ने मानवाधिकारों के प्रति अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने और समाज में शांति और न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु किये गए इस प्रयास ने हमीरपुर क्षेत्र में सामाजिक न्याय और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दिया है।

मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने बढ़ाया जागरूकता का दायरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर – महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को लेकर बलरामपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान (फेज-5.0) के अंतर्गत सोमवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूलों, कॉलेजों तथा प्रमुख बाजारों में जाकर छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों ने ग्राम चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याएँ सुनीं तथा आवश्यकतानुसार मौके पर ही निस्तारण की कार्यवाही की। साथ ही उपस्थित महिलाओं को शासन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा उपायों के विषय में जानकारी दी गई। इस अभियान के दौरान

महिला सुरक्षा दल ने वूमेन पावर लाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, एम्बुलेंस 108, चाइल्ड लाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, स्वास्थ्य सेवा 102, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 जैसे महत्वपूर्ण नंबरों के बारे में विस्तार से बताया। महिलाओं को घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, गुड टच–बैड टच, महिला अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा मिशन शक्ति केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, सहायता प्रक्रिया तथा शिकायत निस्तारण व्यवस्था के बारे में भी व्यापक जानकारी दी गई ताकि महिलाएँ आवश्यकता पड़ने पर स्वयं इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी गरिमा को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे जिले में महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित हो सके और प्रत्येक नारी भयमुक्त वातावरण में जीवन जी सके। कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने पम्पलेट वितरण कर जनसमुदाय को जागरूक किया तथा समाज से अपील की कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सभी लोग सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

परिवार की आधारशिला के साथ ही समाज की दिशा तय करती हैं मातृशक्तियां- निधि द्विवेदी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चित्रकूट- विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा बुधवार को बेड़ी पुलिया स्थित बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलिज में 'सप्तशक्ति संगम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें संगोष्ठी सत्र में मातृ शक्ति की भूमिका पर विचार प्रस्तुत किए गए। साथ ही विद्यालय की छात्राओं ने भारतीय संस्कृति में मातृ शक्ति के महत्व को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में सप्तशक्ति क्षेत्र संयोजिका निधि द्विवेदी ने कहा कि मातृ शक्ति परिवार की आधारशिला के साथ ही संस्कार, शिक्षा और सामाजिक दिशा प्रदान करने वाली चेतना शक्ति है। सप्तशक्ति का उद्देश्य महिलाओं के भीतर आत्मगौरव और कर्तव्य बोध को जागरूक कर पंच परिवर्तन स्व-बोध, पारिवारिक प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य के विचारों को परिवार से समाज तक ले जाना

है। कहा कि जब परिवार संस्कारवान और जागरूक होता है, तब समाज के प्रत्येक स्तर पर समरसता और सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। डिजिटल युग की चुनौतियों में माताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा, सामाजिक दिशा, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्य के संस्कार मातृ शक्ति ही प्रदान कर सकती है। यही पंच परिवर्तन की मूल भावना भी है।

सप्तशक्ति प्रान्त संयोजिका डॉ प्रियंका श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृशक्ति में निहित सात मूल शक्तियों कीर्ति, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा और श्री को जागृत कर समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। विद्यालय की आचार्या आरधना ने सनातन संस्कृति प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मातृशक्तियों से चर्चा की। इस दौरान प्रान्त में आगामी समय में होने वाली मातृ गोष्ठियों और गतिविधियों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में राजेश्वरी व प्रियंका सिंह द्वारा समाज सेवा और शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय मातृशक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजिका रागिनी द्विवेदी ने सभी मातृशक्तियों को सप्त शक्ति जागरण और पंच परिवर्तन के मूल सिद्धांतों को अपने परिवार और समाज में लागू करने का संकल्प दिलाया। आचार्या ज्योति ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सप्त शक्ति संगम और पंच परिवर्तन का समन्वय नई पीढ़ी के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राधवेन्द्र पाण्डेप, सर्वव्यवस्था प्रमुख शिवनायक, प्रमोद पाण्डेय, दादूराम, गोरेलाल सुशील, हर्ष, प्रदीप, सुधाकर, मीडिया प्रभारी विश्वास पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

मानवाधिकार दिवस पर जिला कारागार में जिला कारागार में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चित्रकूट- मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल एड डिफेन्स सिस्टम में कार्यरत मुख्य न्याय रक्षक गया प्रसाद निषाद व सहायक न्याय रक्षक कुलदीप सिंह द्वारा बुधवार को जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। साक्षरता शिविर में मुख्य न्याय रक्षक गया प्रसाद निषाद मुख्य न्याय रक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह संदेश देता है कि प्रत्येक मनुष्य मूल्यवान है तथा उसकी गरिमा उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी अन्य लोगों की। इसका समर्थन भारतीय

सम्विधान की प्रस्तावना से भी होता है। सहायक न्याय रक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि यह दिवस सम्पूर्ण मानव जाति के लिये एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि वर्ष 1948 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया था, जिसे यू.डी.एच.आर. के नाम से भी जानते हैं। पैरालीगल वालेण्टियर ममता वर्मा द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) चित्रकूट में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में बताया गया कि मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह उस दिन की याद में मनाया जाता है जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। जब महासभा ने घोषणा को अपनाया, तो इसे सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक साझा मानक घोषित किया गया। इसके लिए व्यक्तियों और समाजों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील उपायों द्वारा इसकी सार्वभौमिक और प्रभावी मान्यता और पालन सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।